प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रेस ब्रीफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के पटल पर रखने के लिए राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की निष्पादन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन–राजस्थान सरकार विधान मंडल के पटल पर दिनांक 22 सितम्बर 2022 को रखा जा चुका है । प्रक्रियानुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल की जन लेखा समिति को सौंपा गया मान लिया जाता है ।

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष

अध्याय II: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में डीबीटी का कार्यान्वयन

- मृत लाभार्थियों को 'जीवित' सत्यापित किया जाना, जीवित लाभार्थियों की पेंशन 'मृत' के रूप में गलत तरीके से सत्यापित होने पर रोक लेना और सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए आवेदकों को 'सत्यापित' चिह्नित कर भुगतान करते रहना जैसी अनियमितताएं लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली में पाई गईं ।

(अनुच्छेद 2.5)

- स्व-सत्यापन/स्वीकृति के प्रकरण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पश्च-लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी उन प्रकरणों में निर्धारित नहीं की जा रही थी जहाँ स्वतः सत्यापन/स्वीकृति के कारण गलत पेंशन का भुगतान किया गया ।

(अनुच्छेद 2.6)

- विशिष्ट आईडी को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) से लिंक नहीं किया गया था जिसके कारण लाभार्थियों का दोहराव हुआ और पेंशन के दोहरे भुगतान के मामले सामने आए । विभाग सभी लाभार्थियों के लिए विशिष्ट आईडी प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रयास और उनके पीपीओ को इन विशिष्ट आईडी से जोड़ने में विफल रहा ।

(अनुच्छेद 2.8)

- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों जैसे मल्टी-फैक्टर औथेन्टिकेशन की कमी, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अद्यतन की कमी और बिजनस कन्टीन्युटी प्लान / डिजास्टर रिकवरी प्लान के कार्यान्वयन की कमी को देखा गया ।

(अनुच्छेद 2.10)

अध्याय III: राज्य में डीबीटी का बुनियादी ढांचा, संगठन और प्रबंधन

- राज्य डीबीटी पोर्टल (जन-आधार पोर्टल) को डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकीकृत नहीं किया गया था । राज्य डीबीटी योजनाओं के महत्त्वपूर्ण विवरण जैसे लाभार्थियों की संख्या, प्रति लाभार्थी लाभ हस्तांतरण की

राशि, माह-वार/वर्ष-वार डीबीटी हस्तांतरण, और डीबीटी के कारण बचत आदि पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थे। यह भी देखा गया कि राज्य डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं के सीमित डेटा को वास्तविक समय में अद्यतन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.1)

- राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ योजना/विभाग विशिष्ट आईसीटी एप्लीकेशन के विकास में सम्मिलित नहीं था और ऐसे एप्लीकेशन्स का विकास संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा था। राज्य के कार्मिकों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला भी आयोजित नहीं की गई।

(***अनुच्छेद 3.2 एवं 3.3***)

अध्याय IV: अभीष्ट लाभार्थियों को लाभों का वितरण और शिकायत निवारण तंत्र

- पेंशन नियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के विपरीत पेंशन का भुगतान काफी देरी से किया गया।

(***अनुच्छेद 4.1***)

- अधिक/अनियमित पेंशन भुगतान से संबंधित वसूली लंबित थी।

(***अनुच्छेद 4.2***)

- लाभार्थियों को असफल भुगतान के बारे में सूचित करने के लिए प्रावधान नहीं होने के साथ पेंशन भुगतान असफलताओं को दूर करने की प्रक्रिया में कमियां देखी गईं और लाभार्थियों को विवरण के सुधार के लिए अनावश्यक चरणों के साथ लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा था।

(***अनुच्छेद 4.3***)

- डीबीटी प्रकोष्ठ/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा डीबीटी से संबंधित शिकायतों और लाभार्थियों की शिकायतों से निपटने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की गई थी। राजएसएसपी पर सीएमओएएसपीएस और सीएमईएनएसपीएस से संबंधित पंजीकृत शिकायतों/प्रश्नों के निपटान में काफी बकाया पाया गया।

(***अनुच्छेद 4.4 एवं 4.5***)